का तामिल में जारी हुए।

18/5/18

पत्रावली अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय अभियान वर्ष-2018 सम्बन्धित अदालत सेवा केन्द्र सिमला पेश हुई।
उभय पक्ष उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष को सुना गया। आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से पूर्व में गत्र गया नामान्तकरण सं० 2218 दिनांक 03/2/17 को अमान्य कर Remand करने में सहमत है। उपस्थित मजमे आम में मृतक हीराराम के विधिक वारिसान बापत देवाराम नथाराम मोहनलाल एवं सुवाराम होने की पुष्टि की गई। मृतक सुवाराम की विधिक वारिस श्रीमती कमला का नाम सहवन से दर्ज नहीं हुआ। जिस वजह से नामान्तकरण सं० 2218 दि० 3/2/17 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पूर्व में श्रीमती कमला द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकृत की जाकर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

नत्थाराम
मोहन लाल
चन्द्र सिंह देवल
सरपंच
ग्राम पंचायत
पं. स. मारवाड़ जं. (पाली)
कमला

—: आदेश :—

अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए सरहद मौजा सिमला के खाता संख्या 674 767 323, 325 324 में उल्लेखित कृषि भूमि का पूर्व नामान्तकरण सं० 2218 दिनांक 3/2/17 को अमान्य किया जाकर तह० मा० जू० को इस निर्देश के साथ प्रार्थी प्रेषित कीया जाता है कि मृतक सुवाराम के विधिक वारिसान की जांच करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही कर पालना प्रेषित करें। मिसल फैसल भुगतान किया जाकर कब्जा से कम भुगतान है। निर्णय मजमा आम राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

S.D.M.